

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 08/2025-State Tax (Rate)

Dated: 30.7.2025

No. F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 720 .- In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 17/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30/06/2017 namely:-

1. In the said notification, in the *Explanation*, for item (c), the following shall be substituted, namely,-
“ “specified premises” has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of notification number 11/2017-State Tax (Rate) dated 30.06.2017.”.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

Note: - The principal notification number 17/2017 –State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30/06/2017 and was last amended by notification number 16/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub Section (i) vide number F.3 (17)/Fin(Exp-I) 2023-24/DS-I/1069 dated 21/12/2023.

No. F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 7220

Dated: 30.1.7./2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 08/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक : 30/7/2025

फा0सं0 3(16)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/720 -दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की अनुशंसाओं पर, एतद् द्वारा दिनांक 30.06.2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना के, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" "निर्दिष्ट परिसर" का वही अभिप्राय है जो दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) के परिच्छेद 4 के खंड (xxxvi) में यथा निर्दिष्ट है।"
2. यह अधिसूचना 01अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,


(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

टीप:- मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 21.12.2023 की फा0 सं0 3 (17)/वित्त (व्यय-1) 2023-24/डीएस-1/1069 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 16/2023-राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया था।

फा0सं0 3(16)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/720

दिनांक : 30/7/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)